संख्या-154/2016/300/22-2-2016-17(86)/2016

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 21 सितम्बर, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लाखन पुत्र श्री प्रभू दयाल निवासी जनपद-कानपुर नगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-49391/पर-3(एम-06-08-2014) दिनांक-11-12-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध बन्दी लाखन पुत्र श्री प्रभू दयाल, निवासी-नारायनपुरवा थाना-जूही, जिला- कानपुर नगर, वर्तमान पता-933/763 नयापुरवा, थाना-जूही जनपद-कानपुर नगर रहने वाला है। किरायेदारी के विवाद को लेकर चल रही मुकदमेंबाजी के कारण बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 20.04.1992 को रात्रि लगभग 11:00 बजे चाकूओं से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-600/1992 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34, 452 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर द्वारा दिनांक 02.05.2000 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01-10-2015 तक 16 वर्ष 02 माह 21 दिन की अपरिहार तथा 21 वर्ष 04 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 02 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है तथा 01 जमानत मुचलके पर रिहा है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने, अपराध करने में अशक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को प्रभावित करने वाला अपराध है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने, शारीरिक रूप से अपराध करने में सक्षम होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी लाखन पुत्र श्री प्रभुदयाल निवासी जनपद-कानपुर नगर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेयक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी लाखन (बन्दी संख्या-17818) पुत्र श्री प्रभुदयाल निवासी जनपद-कानपुर नगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-154/2016/300(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-154/2016/300@22-2-2016-17(86)/2016

दिनांक 21 सितम्बर, 2016 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध बन्दी लाखन पुत्र श्री प्रभू दयाल, निवासी-नारायनपुरवा थाना-जूही, जिला- कानपुर नगर, वर्तमान पता-933/763 नयापुरवा, थाना-जूही जनपद-कानपुर नगर का रहने वाला है। किरायेदारी के विवाद को लेकर चल रही मुकदमेंबाजी के कारण बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों साथ मिलकर दिनांक 20.04.1992 को रात्रि लगभग 11:00 बजे चाकूओं से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-600/1992 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34, 452 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर द्वारा दिनांक 02.05.2000 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01-10-2015 तक 16 वर्ष 02 माह 21 दिन की अपरिहार तथा 21 वर्ष 04 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 02 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है तथा 01 जमानत मुचलके पर रिहा है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने, अपराध करने में अशक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को प्रभावित करने वाला अपराध है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने, शारीरिक रूप से अपराध करने में सक्षम होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी लाखन पुत्र श्री प्रभुदयाल निवासी जनपद-कानपुर नगर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।